रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 1972/श्रावण 11, 1894

No. 203] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 1972/SRAVANA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August 1972

G.S.R. 370(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

C.O. 94

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) THIRD AMENDMENT ORDER, 1972

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Third Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(1) in the opening portion, for the words, brackets and figures "and the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971", the words, brackets and figures

"the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971 and the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971" shall be substituted;

(2) in sub-paragraph (7) (relating to PART XII), in clause (a), for the words and figures, "articles 290 and 291", the words and figures "and article 290" shall be substituted:

(3) in sub-paragraph (14) (relating to PART XIX), in clause (a), for the words and figures, "articles 290 and 291", the words and figures "and article 290" shall be substituted:

(4) in sub-paragraph (22) (relating to SEVENTH SCHEDULE), in clause (c)—

(a) after sub-clause (i), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

'(i-a) for entry 2, the entry "2. Criminal procedure in so far as it relates to administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country," shall be substituted;

(i-b) for entry 12, the entry "12. Evidence and oaths in so far as they relate to administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country." shall be substituted:

(i-c) for entry 13, the entry "13. Civil procedure in so far as it relates to administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country." shall be substituted;';

(b) in sub-clause (iii),—

(i) for the words and figures "entries 2 and 3", the word and figure "entry 3" shall be substituted;

(ii) for the words, figures and brackets "entries 12 to 15 (both inclusive), entries 17", the word and figures "entries 14, 15, 17" shall be substituted.

V. V. GIRI,
President.

[No. F.19(6)/72-LI.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त 1972

सा० का० नि० 370 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

सं० आ० 94

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) तृतीय संशोधन आदेश, 1972

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) तृतीय संशोधन आदेश, 1972 होगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में :—

(1) प्रारम्भिक भाग में "और संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर", संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 और संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(2) उप-पैरा (7) में (भाग xii से संबंधित) खण्ड (क) में, "अनुच्छेद 290 और 291," शब्दों और अंकों के स्थान पर", और अनुच्छेद 290 " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(3) उप-पैरा (14) में (भाग xix से संबंधित) खण्ड (क) में, "अनुच्छेद 362 और 365", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 365" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(4) उप-पैरा (22) में (सप्तम अनुसूची से संबंधित) खण्ड (ग) में—

(क) उप-खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i-क) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, "2. दण्डिक प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय आफिसरों द्वारा शपथ दिलाने और शपथ-पत्र लेने के साथ है" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(i-ख) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, "12. साक्ष्य और शपथ, जहां तक उनका संबंध किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय आफिसरों द्वारा शपथ दिलाने और शपथ-पत्र लेने के साथ है" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(i-ग) प्रविष्टि 13 के स्थान पर, "13. सिविल प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय आफिसरों द्वारा शपथ दिलाने और शपथ-पत्र लेने के साथ है" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ख) उप-खण्ड (iii) में —

(i) प्रविष्टियां 2 और 3", शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रविष्टि 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "प्रविष्टियां 12 से 15 तक (दोनों मिला कर), प्रविष्टियां 17" शब्दों अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "प्रविष्टियां 14, 15, 17" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फ० 19(6)/72-एल० आई०]

के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972